कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 04 / 27सी दिनांक 02/ 01/ 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग के अर्न्तगत हलियाडोव लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00 किमी0 में पड़ने वाली 4.981 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। (प्रपोजल /FP/UK/ROAD/37472/2015)

संदर्भः–भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आदेश संख्या 8बी./U.C.P./06/ 131 /2020/एफ.सी./ 1597 दिनाक 21.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

क0 स0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.962 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सविल खसरा न016,38,393,686,769.768, 1244, 1361 , 1427,1509,1691,1724,1872,1927.2346, 2487, 2556, 2559 ,2563 ,2676,2689,2691,2892,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88दिनांक 24.03.2022को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। आकस्मिक देयक की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र में से 3.00 हे० MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधकिारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिर्पोट प्रस्तुत करेगे वहां 1000 trees/ha की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नहीं हो guideline 8.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 3.00 हे0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा।	मान्य है।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभन्नि प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधनियिम, 1927 के अंर्तगत	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 179/सात–05/2022–23 दिनांक 20.10.2022 द्वारा 9.962 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

	विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालपन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।
4	शुद्ध वतमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सवोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (PL- 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009– में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.981 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88दिनांक 24.03.2022को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। आकस्मिक देयक की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 101वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
6	राज्य सरकार villege wise break up में Non forest land का योग 5.067 हे0 करना सुनिश्चित करें।	मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
8	State Govt- will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11-2- The State Govt- will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission-	मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधति जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास	मान्य है।

	निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	
16	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्दशानुसार प्रत्यार्वतित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशार्निदेश फाइल संख्या 11–42/2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पयवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजिवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधनियिम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालना रिपोट ई–पोटल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	

भवदीय

02/01/023

(इं0 संजीव भटट)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

पत्रांक 04 / 27सी दिनांक 02 / 01 / 2023

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

2– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

02/01/023

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

O/C

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopith-forest-uk@nic.in; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः— /12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 31 जुलाई, 2023 ।

1544
27 सी
30/08/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :— जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग के अन्तर्गत हलियाडोब लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00 कि0मी0 में पड़ने वाली 4.981 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। (प्रपोजल/FP/UK/ROAD/37472/2015)

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आदेश संख्या 8बी/U.C.P/06/131/2020/एफ0सी0/1597 दिनांक—21.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्वान्तिक स्वीकृति के आदेश के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की प्रस्तावक विभाग स्तर से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है—

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक रवीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.962 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं0 16,38,393,686,769,768,1244,1361,1427,1509,1691,1724,1872,1927,2346,2487,2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जायेगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटशेन से बचे।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.962 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं0 16,38,393,686,769,768,1244,1361,1427, 1509,1691,1724,1872,1927,2346,2487, 2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892, 2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580, 3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003, 4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुए मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	(ख) प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में से 3.00 हे0 MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वहां 1000 trees/ha की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नहीं हो guideline 8.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 3.00 हे0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा।	प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में दर्शित MDF क्षेत्र वास्तव में झाड़ीनुमा है, तथा उक्त क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है, जिसमें 1000 वृक्ष/हे0 की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तातरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या—3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 179/सात—05/2022—23 दिनांक 20.10.2022 द्वारा 9.962 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। उक्त सी0ए0 क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

	(घ) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस सम्बन्ध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (PL-2) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.981 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88 दिनांक 24.03.2022 को वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। शपथ पत्र संलग्न।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 101 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
6	राज्य सरकार villege wise break up में Non forest land का योग 5.067 हे0 करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकारण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	State Govt-will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11-2- The State Govt-will strictly monitor and ensure that no futher activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission-	कार्य की अनुमति संलग्न है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनों किनारो पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों की राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यार्वतित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण साम्रगी के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विर्निदिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई/की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोटल (https://parivesh&nic&in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– 530. /12–1 दिनांकित।
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।